



2026:AHC:127738

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19313 सन् 2026

श्री नारायण तिवारी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	महादेव सिंह चन्देल
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	अनिरुद्ध सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. पुनः पुकार में, शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, तथापि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की मुकदमा अपराध संख्या 181/2026, धारा 61(2), 105 बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना बिसण्डा, जनपद बांदा में, जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रारंभ में, प्राथमिकी धारा 106(1) बी.एन.एस. (तत्समान धारा 304-ए भारतीय दण्ड संहिता) के अंतर्गत दर्ज की गई थी। बाद में मामले को धारा 105, 61(2) बी.एन.एस. (तत्समान धारा 304, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता) में परिवर्तित कर दिया गया। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। प्राथमिकी सह-अभियुक्त कृष्ण मोहन तिवारी, आरती के विरुद्ध दर्ज की गई थी, तथा मृतक को आवेदक द्वारा उक्त सह-अभियुक्त के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आवेदक एम्बुलेंस का चालक था और अभिकथित अपराध से उसकी कोई भूमिका नहीं है। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर, मृतक को अस्पताल में छोड़ा गया था। मृतक की मृत्यु के पश्चात्, शिकायतकर्ता द्वारा आवेदक तथा अस्पताल के डॉक्टरों के विरुद्ध अपराध

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाने हेतु एक कहानी गढ़ी गई। अभिकथित घटना दिनांक 11.04.2026 को घटित हुई थी। प्राथमिकी दर्ज करने में इस असाधारण विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि आवेदक दिनांक 06.05.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा यह कथन किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

5. मैंने पक्षों की प्रतिस्पर्धी दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धी दलीलों, अभिकथनों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु मामला बनाया है।

7. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में लिप्त आवेदक-**श्री नारायण तिवारी** को व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि की दो प्रतिभूतियों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वह किसी स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के अभाव में उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 बी.एन.एस. के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ, (2) आरोप-विरचन, तथा (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून 2026

ए.पी. पाण्डेय

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।